न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (S.D.O.) शिवगंज, जिला–सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थी
विक्रमसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपूत निवासी चाणोद तहसील सुमेरपुर जिला पाली	बनाम	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * शिवगंज (राजस्थान)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व प्रा0पत्र संख्या – 62/2024

–:निर्णय:–

दिनांक 22.11..2024

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगणों का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी हक हुकुकों की कृषि भूमि मौजा वडगांव पटवार हल्का वडगावं भू0 अ0 निरीक्षक शिवगंज तहसील शिवगंज में स्थित है जिसके खाता सं0 835 खसरा नम्बर 36/2 रकबा 0.9712 हैक्टयर भूमि आई हुई स्थित हैं। उक्त खसरा नम्बर को आगे वादगरस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। प्रार्थी उक्त वादग्ररस्त कृषि भूमि का एक मात्र खातेदार है तथा प्रार्थी के अलावा वादग्रस्त भूमि का अन्य कोई खातेदार नहीं है। उक्त वादग्ररस्त भूमि पर प्रार्थी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करते आ रहा है। तथा जिसके कब्जे व खातेदारी को लेकर मौके पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। उक्त खसरा नम्बर को राजस्व रेकर्ड में DILRMP के तहत ऑनलाईन करने के दौरान अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि की तरमीम मौके के अनुसार नहीं की गई है। जबकि पूर्व में लटठा ट्रेस में उपलब्ध तरमीम के अनुसार नहीं की गई है। प्रार्थी के वादग्रस्त भूमि की तरमीम सही नहीं होने तथा नक्शें में कब्जे मौके के अनुसार तरमीम नक्शा में सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी को हो रही असुविधा से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण बना। जिससे भविष्य में इस बाबत विवाद होने की संभावना है। अतः प्रार्थी ने नक्शें में सही रूप से तरमीम करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने रिपोर्ट में अवगत कराया है कि मौजा बडगांव तह0 शिवगंज के खसरा नं0 36/2 कुल रकबा 0.9712 हेक्टयर किस्म बंजर खातेदार विक्रमसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपूत निवासी चाणोद तह0 सुमेरपुर के नाम खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि खातेदार का वर्तमान कब्जा पूर्व के नक्शा लटठे अनुसार काबिज है लेकिन वर्तमान में उपलब्ध भू–नक्शें में खसरा नं0 36/2 को अधिक रकबे में दर्शाया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। पटवारी बडगांव के पास उपलब्ध नक्शा लट्ठा में मूल खसरा नं0 36 की तरमीम उपलब्ध है व प्रार्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई भू–प्रबंधन मोमीयासीट में खसरा नं0 36 की तरमीम की हुई है। मूल खसरा नं0 34 व 36 की सीमारेखा मोमीयासीट व लट्ठे नक्शें से मेल खा रही है। मूल खसरा नं0 34 के वर्तमान जमाबंदी में तीन नये खसरा नं0 34/1, 34/2 व 34 दर्ज है। खसरा नं0 34/1 रकवा 0.3237 हेक्टयर भूमि समाज कल्याण विभाग सिरोही के नाम से दर्ज है। जिसका मौके पर कब्जा है तथा खसरा नं0 34/2 रकबा 0.6070 हेक्टयर किस्म स्कूल आमलीवाली महाजनी प्रा0 शिक्षा समिति शिवगंज के नाम से दर्ज है जो मौके पर चालू स्थिति में है। खसरा नं0 34/1 34/2 मौके पर व रेकर्ड में दर्ज है लेकिन खसरा नं0 34 की शेष भूमि प्रस्तावित नक्शें में प्रस्तावित की हुई है। भू–प्रबंधन मोमीयासीट में खसरा नं0 34 में [illegible] डोटेड लाईन से मार्क किया हुआ है। अतः DILRMP के तहत ऑनलाईन तरमीम [illegible] समय मूल खसरा नं0 34 व 36 की सीमारेखा की तरमीम सही नहीं होने से खसरा नं0 34 का रकबा [illegible] नं0 36/2 में शामिल हो जाने से खसरा नं0 36/2 का रकबा जमाबंदी से अधिक हो गया है। अतः खसरा नं0 36/2 की तरमीम तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट के अनुसार शुद्धि करना अपेक्षित है। जिसके प्रस्तावित नक्शें की प्रति संलग्न है।

लगातार पेज–2

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.09 17:22:43 IST
Reason: SelfAttested

प्र0सं0-62/2024
विक्रमसिंह बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जवाब पर प्रार्थी की बहस को सुना गया। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराकर ऑनलाईन नक्शें में हुई त्रुटि DILRMP के तहत ऑनलाईन तरमीम के समय मूल खसरा नं0 34 व 36 की सीमारेखा की तरमीम सही नहीं होने से खसरा नं0 34 का रकबा खसरा नं0 36/2 में शामिल हो जाने से खसरा नं0 36/2 का रकबा जमाबंदी से अधिक दर्ज हो गया है जिसे सही करने का निवेदन किया गया। हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तो हमने पाया कि दस्तावेजी साक्ष्यों से भी प्रार्थी अधिवक्ता के कथन की पुष्टि होती है अतः हम वर्तमान तरमीम को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

–::आदेश::–

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान तरमीम को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में **मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील शिवगंज के खसरा नम्बर 36/2 रकबा 0.9712 हैक्टयर भूमि का माफिक कब्जा व प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम त्रुटि को दुरूस्त किया जावे। स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावे।** तहसीलदार शिवगंज को उक्त आदेश तथा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भेजकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नं0 से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

(नीरज मिश्र, R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)
दिनांक 22.11.2024

कमांक/कोर्ट/2024/ 590
प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :–
तहसीलदार शिवगंज ।

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.09 17:22:43 IST
Reason: SelfAttested